

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम ज हुकम की त में जारी
20-2-15	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साक्ष बारे पर है। अवकाश पर है / का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 17-4-15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(R) रीडर</p>	
17-4-15	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित है। वास्ते कार्यवाही तक की पत्रावली दि० 29-5-15 को पेश हो।</p>	
29/5/15	<p>पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साक्ष बारे पर है। अवकाश पर है / का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली दि० 3-7-15 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(R) रीडर</p>	<p>3091-84 25/6/15</p>
<p>3-7-2015</p> <p>पत्रावली आज लोक अदालत चूली में पेश हुई। वादी व प्रतिवादीगण उपस्थित है। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी अपना दावा वापस लेता है। वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जावे।</p> <p>पक्षकारों को सुना गया। राजीनामा स्वीकार किया जाकर पक्षकारों वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रा० का पैसल नुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं लाले वाद तकमील काखिल दफ्तर हो।</p> <p>(सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p>(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी</p>	<p>1 वादपत्र 2 शक्ति 3 प्रदर्शो 4 5 साक्षियो 6 कमिशन 7 आदेशिव</p>

नम्बर व त
अहकाम जं
हुक्म की त
में जारी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) चूली

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

पन्ना पुत्र मंगल, बैरवा निवासी नयापुरा बैरवा बस्ती चूली तहसील गंगापुरसिटी

—वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र सांवलिया, बैरवा निवासी नयापुरा चूली तहसील गंगापुर सिटी
2. नीट्या पुत्र सांवलिया, बैरवा निवासी नयापुरा चूली तहसील गंगापुर सिटी
3. दोनी पुत्र सांवलिया, बैरवा निवासी नयापुरा चूली तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 103/2011

वादी की ओर से वादी श्यामसुन्दर व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी केशन्ती वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 3.7.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 3.7.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
इ.प. नि.प.स. कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे	रूपया	
	वादी	प्रतिवादी
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4 _____रूपये पर प्लीडर की फीस		
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		
6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील		
जोड़	जोड़	

पीठासीन

91-84
06/08
हुई
ने
वादी
वापिस

सामा
को दावा
पत्रा०
स्व

व)